न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या — 224 / 2025

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थी**
1. लादुसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित जाति पुरोहित निवासी धांगडवास तह0 सोजत जिला पाली राज0 हाल निवासी 26 नियर हरी सभा आश्रम प्रजापति कॉलोनी, झालामण्ड चौराया, झालामण्ड जोधपुर तह0 व जिला जोधपुर राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा, श्री तरूण मेवाड़ा अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 15/10/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा धांगड़वास, प0ह0 चाड़वास, भू—अ0नि0 क्षेत्र चाड़वास तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की खातेदारी कृषि भूमि निम्नानुसार आयी हुई स्थित हैं। सम्पति ''ए'' खाता सं0 51 पुराना खाता सं0 42 खसरा नंबर 218, 219 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.8200 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/12 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''बी'' खाता सं0 50 पुराना खाता सं0 39 खसरा नंबर 123, 124, 125, 142, 163, 228, 229 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.1400 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/6 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''सी'' खाता सं0 48 पुराना खाता सं0 41 खसरा नंबर 171, 172, 173, 174 कुल खसरा 04 कुल रकबा 1. 1300 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/12 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''डी'' खाता सं0 47 पुराना खाता सं0 40 खसरा नंबर 223, 224 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.8000 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/12 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''ई'' खाता सं0 348 पुराना खाता सं0 333 खसरा नंबर 134, 136, 164, 165, 230 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.3400 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/24 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''एफ'' खाता सं0 347 पुराना खाता सं0 332 खसरा नंबर 155, 158, 670 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.3900 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/24 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''जी'' खाता सं0 245 पुराना खाता सं0 231 खसरा नंबर 167, 221 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

6400 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/12 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''एच'' खाता सं0 349 पुराना खाता सं0 334 खसरा नंबर 669/918, 671, 691 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.9300 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/24 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''आई'' खाता सं0 351 पुराना खाता सं0 336 खसरा नंबर 226, 227 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2600 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/12 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''जे'' खाता सं0 360 पुराना खाता सं0 346 खसरा नंबर 181 कुल खसरा 01 कुल रकबा 2.1400 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/24 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''के'' खाता सं0 173 पुराना खाता सं0 166 खसरा नंबर 156, 157, 162, 206 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.2600 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/24 हक हिस्सा निहित हैं। सम्पति ''एल'' खाता सं0 242 पुराना खाता सं0 228 खसरा नंबर 668, 669/922 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.0200 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/24 हक हिस्सा निहित हैं। वादग्रस्थ भूमि में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजीयात की कृषि भूमि प्रार्थी को विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सदभाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नहीं कर लालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी बाहर निवासरत होने से राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में उक्त संशोधन हेतु पूर्व में कार्यवाही नहीं कर सका। जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित है। इसलिये राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज लालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित ही है तथा प्रार्थी को गांव परिवार समाज में लादूसिंह राजपुरोहित के नाम से ही जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड के साथ व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित ही दर्ज है जिससे स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित ही है अर्थात् वादग्रस्थ कृषि भूमि में लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित एवं लालसिंह पुत्र गिरधारी सिंह एक ही है जिन दोनो नामो का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है तथा प्रार्थी को लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित के नाम से ही सम्बोधित किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी लालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह के स्थान पर लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर

प्रभाव पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तमाम कृषि भुमियो के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह के स्थान पर लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा धांगडवास में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 4 से 5 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1482 दिनांक 15.10.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड लाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित दर्ज है, जबकि अन्य रेकर्ड में लादुसिंह पुत्र गिरधारीसिंह राजपुरोहित दर्ज है, जबकि अपनी खातेदारी भूमि में राजस्व रेकर्ड में लाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह के स्थान पर लादुसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित दर्ज किया जाना उचित हैं, की रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम लालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह के स्थान पर लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में लाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह के स्थान पर लादुसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित दर्ज किया जाना उचित होने की रिपोर्ट पेश की। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 7601 0292 9744, जन आधार कार्ड सं0 5048134755, पैन कार्ड सं0 ABHPR0233Q इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम लादुसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित दर्ज हैं। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम लादुसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार

किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम लालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह के स्थान पर लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह के स्थान पर लादूसिंह राजपुरोहित पुत्र गिरधारी सिंह राजपुरोहित के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत